न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–55/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/55)

1. श्री किशना सिंह पुत्र श्री चंद्र जाति दरोगा निवासी ग्राम मंडियानी तहसील नसीराबाद व हाल निवासी ग्राम दांता तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नसीराबाद, जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 12.06.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, राजस्व वाद संख्या 25/2013

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्रसिंह चौहान अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री विकास पराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01.

निर्णय

दिनांकः–16.02.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 25/2013 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी द्वारा एक राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट की खातेदारी/काश्तकारी ग्राम मंडियानी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कानपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर में अवस्थित है। वादी/अपीलांट द्वारा उक्त आश्य का राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया अपीलांट की खातेदारी/काश्तकारी भूमि चौसाला खसरा नम्बर 154 मिन वर्किंग खसरा नम्बर 197 रकबा 9–0–00 जिसके आधार भूत खसरा नम्बर 493 मिन रकबा 0.30 है., 498 मिन रकबा 1.16 है0, वर्किंग खसरा नम्बर 199 रकबा 2–00–00 बीघा जिसके आधार भूत खसरा नम्बर 508 मिन रकबा 0.33है, 509 मिन रकबा 0.42 है., वर्किंग खसरा नम्बर 200 रकबा 1–5–00 बीघा जिसके आधारभूत खसरा नम्बर 498 मिन 0.20 है0 वाकै ग्राम मंडियानी तहसील नसीराबाद में अवस्थित है। उक्त आराजियात पर अपीलांट अपने पूर्वजो के समय से ही काबिज काश्त चला आ रहा है तथा उक्त आराजीयात जिस पर प्रार्थी वर्षो से काबिज काश्त चला आ रहा है।वादग्रस्त आराजीयात चौसाला खसरा नम्बर 154 मिन के 15 बीघा के वर्किंग जमाबंदी में बने नवीन वर्किंग खसरा नम्बर 197 रकबा 9–0–0बीघा, खसरा नम्बर 199 रकबा 2–0–0 बीघा,खसरा नम्बर 200 रकबा 1–5–00 का वर्किंग जमाबंदी में किशना वल्द चन्द्रा दरोगा वादी के नाम गैर खातेदारी दर्ज की गई तथा वादी के रेकार्डेड खातेदार होकर उक्त आराजी पर तब से काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त मौके पर आज भी वादी/अपीलांट का आधिपत्य है जिसका सबूत चौसाला जमाबंदी एवं वर्किंग जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्रफल, नामान्तकरण

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

एवं खसरा गिरदावरी सम्वत 2024–207, 2041–2044, 2043 से 2046, 2051–2054, 2031–2035, 2035–2037, 2040–2050 की नकल सलंग्न है तथा चौराला खसरा नम्बर 154 मिन के 15 बीघा के वर्किंग जमाबंदी के बने नवीन वर्किंग खसरा नम्बर 197 रकबा 9–0–0 बीघा, खसरा नम्बर 199 रकबा 2–0–0 बीघा, खसरा नम्बर 200 रकबा 1–5–0 बीघा को चौसाला जमाबंदी में नामान्तकरण में गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज की गई तथा वर्किंग जमाबंदी में गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज करने के बजाय बंदोबस्त विभाग एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा अपने हक एवं अधिकारो से परे जाते हुए वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बने हाल खसरा नम्बर 498 रकबा 1.36, खसरा नम्बर 493 रकबा 0.30 है.खसरा नम्बर 508 रकबा 0.33 है. को गैर कानूनी रूप से विधि विरूद्ध तरीके से गलत एवं त्रुटिपूर्ण रूप से सिवायचक गलत अंकन कर दिया को पुनः दुरूस्त किया जाकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त भूमि वादी के नाम वर्किंग जमाबंदी अनुसार पुनः खातेदारी अंकन की जावें तथा वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात बावत् वादी को खातेदार/काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। वाद पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.8.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किए जाने का आदेश प्रदान किए गए। उक्त पत्रावली विधिवत तलवी/तथा जवाब में नियत थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली को कोर्ट केम्प राजस्व न्यायालय न्याय आपके द्वारा 2015 ग्राम ढ़ाल में सनुवाई का अवसर प्रदान किए वादी/अपीलांट के उक्त राजस्व वाद को दिनांक 12.6.2015 को निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 25/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.06.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि वादी/अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद प्रस्तुत कर दिया था जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत के नोटिस जारी किए थे तथा प्रार्थी दिनांक 12.6.2015 को लोक अदालत में उपस्थित हुआ तथा प्रार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बंदोबस्त विभाग द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त किए जाने का निवेदन किया गया।फ जिस पर संबंधित अधिकारियों द्वारा उक्त दुरूस्ति कर दिए जाने का आश्वासन प्रार्थी को प्रदान किया गया। प्रार्थी द्वारा अभी हाल ही में दिनांक 12.1.2022 को प्रार्थी को खाद बीज के लिए लोन की आवश्यकता होने पर प्रार्थी द्वारा संबंधित खसरा नम्बर की जमाबंदी निकलवाई जब प्रार्थी का पता चला कि वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान में प्रतिवादी/रेस्पोडेंट के नाम ही दर्ज चली आ रही है, तब अपीलांट दिनांक 19.1.2022 को अपने अभिभाषक से मिला तो उन्होंने प्रार्थी को उक्त राजस्व वाद के खारिज होने की जानकारी प्रार्थी को देते हुए उक्त फैसले की प्रतिलिपि प्रार्थी को दी तथा उक्त आदेश की अपील अजमेर जाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की सलाह दी तब प्रार्थी दिनांक 29.1.2022 को अपने अभिभाषक से आकर मिला व उक्त आदेश के विरूद्ध अपील तैयार करवाई। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उक्त आराजीयात पर अपीलांट अपने पूर्वजों के समय से ही काबिज काश्त चला आ रहा है तथा उक्त आराजीयात जिस पर प्रार्थी वर्षों से काबिज काश्त चला आ रहा है तथा उक्त आराजीयात पर अपीलांट ही निरंतर कृषि कार्य करता चला आ रहा है न्यायायल कब्जे बाबत मौका रिपोर्ट मंगवा सकते थे परंतु कोर्ट केम्प में वादी के उक्त राजस्व वाद को निरस्त किए जाने का आदेश दिनांक 12.6.2015 पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय वादी की उक्त पत्रावली बाबत प्रतिवादी का जवाब प्रस्तुत होने पर विधिवत तनकीयात बनाकर वादी के अन्य स्वतंत्र गवाहों के तथा प्रतिवादी को बयान लेकर उक्त पत्रावली का निर्णय किया जाना चाहिए था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त आदेश दिनांक 12.6.2015 पारित कर दिया। अपीलांट की खातेदारी/काश्तकारी ग्राम मंडियानी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कानपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर में अवस्थित है उक्त आराजीत पर अपीलांट अपने पूर्वजों के समय से ही काबिज काश्त चला आ रहा है तथा उक्त आराजीयात जिस पर प्रार्थी वर्षो से काबिज काश्त चला आ रहा है तथा अपनी उक्त आराजीयात बाबत वादी/अपीलांट द्वारा अपने उक्त राजस्व वाद के साथ वादग्रस्त आराजीयात चौसाला खसरा नम्बर 154 मिन के 15 बीघा के वर्किंग जमाबंदी में बने नवीन वर्किंग खसरा नम्बर 197 का वर्किंग जमाबंदी में किशना वल्द चन्द्रा दरोगा वादी के नाम गैर खातेदारी दर्ज की गई तथा वादी के रिकार्डेड खातेदार होकर उक्त आराजी पर तब से काबिज काश्त चला आ रहे है। उक्त मौके पर आज भी वादी/अपीलांट का आधिपत्य है वजह सबूत चौसाला जमाबंदी एवं वर्किंग जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्रफल, नामांतरकरण एवं खसरा गिरदावरी संवत 2024–2027, 2041–2044, 2043–2046, 2051–2054, 2031–2035, 2035–2037, 2040–2050 की नकल संलग्न है तथा चौसाल खसरा नम्बर 154 मिन के 15 बीघा के वर्किंग जमाबंदी के बने नवीन वर्किंग नम्बर 197 को चौसाला जमाबंदी में नामांतरकरण संख्या से वादी के नाम गैरखातेदारी दर्ज की गई तथा वर्किंग जमाबंदी में गैरखातेदारी से खातेदारी दर्ज की गई। इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट था परंतु समस्त तथ्यों के बावजूद निर्णय दिनांक 12.6.2015 पारित कर दिया गया। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बने हाल खसरा नम्बर 498 रकबा 1.36493 रकबा 0.30, 508 रकबा 0.33 को गैर कानूनी रूप से विधिविरूद्ध तरीके से गलत एवं त्रुटिपूर्ण रूप से सिवायचक गलत अंकन कर दिया को पुनः दुरूस्त किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमि वादी के नाम वर्किंग जमाबंदी अनुसार पुनः खातेदारी अंकन की जाने हेतु उक्त राजस्व वाद प्रस्तुत किया था। उक्त आराजीयात चौसाला एवं वर्किंग जमाबंदी में वादी के नाम ही दर्ज रही है तथा दौराने बंदोबस्त सेटलमेंट विभाग द्वारा वर्किंग जमाबंदी से आधारभूत जमाबंदी मुर्तिब करते समय सहवन से बिना किसी न्यायालय के अथवा सक्षम अधिकारी के आदेश के वादग्रस्त आराजीयात को प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दी तथा सेटलमेंट विभाग को पूर्व की जमाबंदी की एंन्टी को ही रिपीट करना होता है परंतु बंदोबस्त विभाग द्वारा उक्त त्रुटि दुरूस्ति हेतु वादी/अपीलांट द्वारा उक्त राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था परंतु राजस्व वाद को निरस्त किए जाने का आदेश दिनांक 12.6.2015 पारित कर दिया। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 25/2013

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

में पारित आदेश दिनांक 12.06.2015 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय की अपीलांट को शुरू से जानकारी थी, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र वादी/अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट ने जानबूझ कर मियाद बाहर अपील पेश की है अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का धांरा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान राजकीय अभिभाषक दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि उक्त विवादग्रस्त प्रकरण में तहसीलदार, नसीराबाद से उक्त प्रकरण बाबत मौका एंव राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, नसीराबाद द्वारा प्राप्त रिकार्ड एवं संलग्न पत्रावली के अवलोकन किया गया। तहसीलदार, नसीराबाद की रिपोर्ट अनुसार वर्किंग जमाबंदी में गैर खातेदारी भूमि वर्तमान में किस्म गै0मु0 होने एवं गैर खातेदार की भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से खातेदारी दिया जाना राजहीत व नैसर्गिक न्याय के विपरीत होगा जो सही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत होने से न्यायहित में प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

9. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद पत्रावली के अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड व मौका रिपोर्ट दिनांक 12.06.2015 जो पटवारी हल्का मण्डियानी, भू–अभिलेख निरीक्षक, कानाखेड़ी के द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट के अनुसार वर्किंग खसरा नम्बर 197 रकबा 9–0–0 बीघा, खसरा नम्बर 199 रकबा 2–0–0 बीघा, खसरा नम्बर 200 रकबा 1–5–0 बीघा के क्रमशः हाल खसरा नम्बर 493 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 498 रकबा 1.36 है0, खसरा नम्बर 508 मिन रकबा 0.33 है. बने है। वर्किंग जमाबंदी अनुसार किशना वल्द चन्द्र जाति दरोगा के नाम गैरखातेदारी में दर्ज है किन्तु भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा वर्किंग खसरा नम्बर से बने हाल खसरा नम्बर में सिवायचक दर्ज किये गये है तथा वर्तमान में मौके पर एवं हाल राजस्व रिकार्ड अनुसार वादी का कब्जा काश्त सिद्ध नहीं होता है। चौसाला वर्किंग के खसरा नम्बर 197, 199 व 200 की किस्म गैरमुमकिन डूंगरी दर्ज है, जिसे गैरखातेदारी से सिवायचक खातें दर्ज की गई है। मौके पर काबिज नहीं होने से गैरखातेदारी से खातेदारी दर्ज न कर सिवायचक खाते में दर्ज हुई है,ऐसी स्थिति में खातेदारी घोषित किया जाना राज्यहित में उचित नहीं माना है। विवादित आराजी पर वादी/अपीलांट का कब्जा काश्त ही नही है तो उसे खातेदारी दिया जाना संभव नहीं है। न्याय का सुस्थापित सिद्धान्त है कि बिना कब्जे के खातेदारी अधिकार दिया जाना संभव नही है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

तहसीलदार, नसीराबाद का यह विधिक दायित्व होता है कि वो गैर खातेदारों की जॉच करें व यदि कब्जा काश्त नही है तो भू–राजस्व कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 14(4) के तहत् सक्षम न्यायालय में आवंटन खारिज करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, यह निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 25/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.06.2015 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 16.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner